कार्यालय नगर पंचायत मसवासी–रामपुर (उ0प्र0)

पत्रांकः– 855/न0न0म0/2019–20 दिनांकः– 21.11.2019

अल्पकालीन ठेको की ई–नीलामी सूचना

सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत मसवासी (रामपुर) अपने वित्तीय वर्ष 2019–20 के ठेको की ई– निविदायें दिनांक 29.11.2019 को अपरान्ह 2.00 बजे तक आमंन्त्रित करती है। जिन्हें बेबसाईड e-tenderup.nic.in पर निविदा फार्म आन लाईन दिनांक 23.11.2019 से 29.11.2019 की अपरान्ह 2.00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती हैं। कार्य की धरोहर राशि डी0डी0/एफ0डी0आर0 के रूप में जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मसवासी (रामपुर) के नाम से जमा होगी, तथा निविदा मूल्य (जी0एस0टी0 सम्मिलित करते हुए) नगर पंचायत मसवासी (रामपुर) के खाता सं0–**13480100005210** बैंक ऑफ बड़ौदा मसवासी आईएफएससी कोड– **BARBOMASWAS** में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मसवासी (रामपुर) के पक्ष में जमा करना सुनिश्चित करें प्राप्त निविदाओं को दिनांक 29.11.2019 को अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मसवासी (रामपुर) के कार्यालय में अपरान्ह 3.00 बजे खोला जायेगा तथा ई–निविदा खोले जानें वाली दिनांक को सार्वजनिक अवकाश एवं विषम परिस्थिति होनें की दशा में अगले कार्य दिवस अथवा अन्य दिवस में खोली जाएगी। ठेको का विवरण निम्नवत् है :–

क0 सं0	योजना का नाम	प्राकलन की अनुमानित धनराशि	जमानत धनराशि	निविदा मूल्य	कार्य अवधि
01	**स्वच्छ भारत मिशन, राज्य वित्त आयोग व वोर्ड फन्ड**				
1	वार्ड न0 01 चाऊपुरा गाटा संख्या 566 पर शौचालय का निर्माण कार्य।	4,95,000.00	10,000.00	1,380.00 (जी0एस0टी0+ स्टे0 सहित)	3 माह
2	वार्ड न0 02 भूवरा में रामलीला ग्राउन्ड के सामने शौचालय का निर्माण कार्य।	4,95,000.00	10,000.00	1,380.00 (जी0एस0टी0+ स्टे0 सहित)	3 माह
3	वार्ड न0 02 भूवरा में धर्मशाला के पास शौचालय का निर्माण कार्य।	4,95,000.00	10,000.00	1,380.00 (जी0एस0टी0+ स्टे0 सहित)	3 माह
4	विभिन्न स्थानो पर मूत्रालय सीट का निर्माण कार्य।	2,56,001.00	5,200.00	690.00 (जी0एस0टी0+ स्टे0 सहित)	3 माह

शर्तेः–

1- निर्माण फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल का भुगतान तभी किया जाना सम्भव होगा जब विभागीय अधिकारी/लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य मानक अुनरूप, व प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय द्वारा सन्तोष जनक होनें का आदेश दिया जाएगा।

2- निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य/आपूर्ति न कराये जाने अथवा अनुबन्ध की किसी भी शर्त का उल्लघंन करनें पर बिल में से धनराशि की कटौती तथा जमानत धनराशि जब्त करनें एवं अनुबन्ध निरस्त करनें का अधिकार अधोहस्ताक्षरी नगर पंचायत मसवासी में निहित होगा ।

3- किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी नगर पंचायत मसवासी का निर्णय अंतिम होगा और सम्बन्धित फर्म को मान्य होगा। किसी भी विवाद की स्थिति मे न्याय क्षेत्र जनपद रामपुर होगा ।

4- आपूर्ति का भुगतान समस्त जांच उपरान्त तथा शासन से समय वृद्धि पश्चात धन उपलब्धता के अनुसार ही किया जायेगा।

5- ठेकेदार द्वारा कार्य किए जाने के पश्चात बिल प्रस्तुत करनें पर पालिका की आर्थिक स्थिति अनुसार ही किया जाएगा।

6- अपठनीय/अस्पष्ट स्कैन/ओवर राइटिंग, कापी टेण्डर के साथ अपलोड होनें पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी।

7- निर्माण, निविदा स्वीकृति के उपरान्त कार्याआदेश के साथ अवशेष 8 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करते हुए अनुबन्ध पत्र की औपचारिकताओं की पूर्ति करना अनिवार्य होगा।

8- शा0सं0 622/23-12-2012 आडिट/08 टीसी दिनांक 8.6.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक न्यूनतम निविदा पर 0.5 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक न्यूनतम निविदा पर 1.00 की दर से अतिरिक्त गारण्टी मनी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

9- ठेकेदार को निविदा मूल्य के बराबर कार्य अनुभव के प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

10- शसर्त निविदा मान्य न होगी।

11- निविदा तकनीकी विड एवं वित्तीय विड अलग-अलग डालनी होगी तथा तकनीकी विड सही पाये जाने पर ही वित्तीय विड खोली जायेगी।

12- निविदा के साथ 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि जमा करना तथा कार्यआदेश के समय तत्काल शेष 08 प्रतिशत धरोहर धनराशि जमा करते हुये अनुवन्घ पत्र की औपचारिकताये का पूर्ति करना अनिवार्य होगा।

13- निर्माण कार्य स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत दिये गये प्रतिबन्धो के अनुरूप करना अनिवार्य होगा।

14. ठेकेदार या संस्था नगर पंचायत मसवासी का वकायेदार व किसी भी विभाग से ब्लैक लिस्टेड नही होना चाहिये।

(अवधेश मिश्र)
अधिशाासी अधिकारी

(हरिओम मौर्य)
अध्यक्ष

नगर पंचायत मसवासी जनपद रामपुर।

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), रामपुर

2. सम्पादक दैनिक मुरादाबाद को इस आशय से कि वह उक्त सूचना का कम से कम स्पेस में सुस्पष्ट स्थान पर प्रकाशन उपरान्त भुगतान हेतु अपना बिल प्रस्तुत करें ।

3. प्रभारी एन0आई0सी0 रामपुर को सीडी सहित इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना का अपलोड करनें का कष्टकरें।

4..नजारत नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

5.समस्त अधिशासी अधिकारी नगरपालिका/नगर पंचायतें जनपद रामपुर

6.कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु

अधिशासी आधिकारी
नगर पंचायत मसवासी
(रामपुर)